# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर०ए०एस० )
वाद सं० : 309 सन 2018
अनवान :–

1. रोहिताश कुमार पुत्र भंवरलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपपुरा तहसील नोहर।

**बनाम**

1. भंवरलाल पुत्र मंगतुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. सन्दीप कुमार पुत्र भंवरलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

**प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 17.01.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 316/299 के खसरा न0 10 की 0.3160हैक खसरा न0 17 की 6. 9930हैक खसरा न0 574 की 6.2474हैक, खसरा न0 577 /1147 की 3.5410हैक खसरा न0 577/2 की 6.3230हैक कुल 23.4200हैक जिसके मंगतुराम खातेदार काश्तकार थे वादी के दादा मंगतुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके तीन पुत्रों पर औद हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में 1/3 हिस्सा भूमि आई वाद भूमि विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड मे वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा जिसे प्रतिवादी संख्या 1 , 2 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 316/299 की कुल 23.4200हैक भूमि में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

SDZaidi

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official